न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर जिला उदयपुर

निर्णय द्वारा – श्री मणीलाल तीरगर R.A.S.

प्रकरण संख्या– 35/2016, राजस्व वाद

फैसल तारीख 05.04.2021

अनवान

1. श्री मनोहरलाल पिता हिरा सालवी
2. श्री रामलाल पिता हिरा सालवी
3. श्रीमती मोतीबाई पति हिरा सालवी
4. श्री गोविन्द पिता पिता हिरा सालवी

निवासी घाटी, तहसील सलुम्बर उदयपुर (राज.)

————वादीगण

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता रोडा जी भील
2. श्री भेरूलाल पिता रोडा जी भील
3. श्री फतेहलाल पिता रोडा जी भील
4. श्रीमती लाली पति रकबाजी भील
5. श्रीमती केशी पुत्री रकबाजी भील

सभी निवासीयान घाटी तह. सलुम्बर जिला उदयपुर

————प्रतिवादीगण

वादी अधिवक्ता – श्री राजकुमार जैन

प्रतिवादीगण नं. एक पक्षीय

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

कि वादीगण द्वारा एक वाद उक्त अनवान में प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण ने उल्लेख किया की वादीगण की कृषि भूमि मौझा घाटी तह. सलुम्बर के संवत 2071 से 2074 के राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 92 में आराजी नं. 642/0.15 , 643/0.01 भूमि वादीगण का संयुक्त नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि पर वादीगण काबिज है तथा काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी गण का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है वे जबरन उक्त भूमि पर कब्जा करने की नियत से दखलंदाजी करते है। उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थना की है।

कि वादीगण का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये दिनांक 30.03.2016 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता हरजीलाल मीणा ने वकालात नामा पेश किया जो शामिल पत्रावंली किया गया। तथा पेशी दिनांक 06.12.2016 को प्रतिवादीगण की ओंर से पक्षकार या अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नही होने से प्रकरण में कार्यवाही एक पक्षीय की गई।

कि वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वादी मनोहर लाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो PW1 है तथा खाते की जमाबन्दी कर प्रमाणित नकल प्रदर्श 1 है।

कि वादीगण के वाद पत्र एवं शपथ पत्र तथा दस्तावेज जमाबंदी से यह स्पष्ट है कि वादीगण मौझा घाटी के आराजी संख्या 642/0.15 तथा 643/0.01 के एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर काबिज है प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हिस्सा या हित निहीत नही है।, वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

सहायक कलक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर

आदेश

वादीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार कर निर्णय दिया जाता है कि मौजा घाटी पटवार मण्डल चिबोडा तह. सलुम्बर की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 92 के आराजी संख्या 642/0.15, 643/0.01 कुल किता 2 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की वादीगण के कब्जे में दखलनदाजी नही करे ना ही प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई कब्जा करे । इस प्रकार कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाति है। वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करेगें पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली बाद दाखला नम्बर से कम कर शुमार फैसल हो।

सहायक कलक्टर सलुम्बर जिला-उदयपुर (राज.)

(मणीलाल तीरगर)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर सलुम्बर
सलुम्बर जिला उदयपुर
5.4.2021

डिक्री व मुकदमें इन्तजाई
(आ. 20 नि. 6 व 7 सी.पी.सी.)

अन्तिम डिक्री

कार्यालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलुम्बर (उदयपुर)

– मणीलाल तीरगर R.A.S.

1. श्री मनोहरलाल पिता हिरा सालवी
2. श्री रामलाल पिता हिरा सालवी
3. श्रीमती मोतीबाई पति हिरा सालवी
4. श्री गोविन्द पिता पिता हिरा सालवी
   निवासी घाटी, तहसील सलुम्बर उदयपुर (राज.)

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता रोड़ा जी मीणा
2. श्री भेरूलाल पिता रोड़ा जी मीणा
3. श्री फतेहलाल पिता रोड़ा जी मीणा
4. श्रीमती लाली पति रुकमाजी मीणा
5. श्रीमती केशी पुत्री रुकमाजी मीणा
   सभी निवासीयान घाटी तह. सलुम्बर जिला उदयपुर

दावा धारा– वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :–35/2016, राजस्व वाद,
निर्णय दिनांकः– 05.04.2021
उपस्थित :– 1. श्री राजकुमार जैन अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादीगण एक पक्षीय

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू – हमारे मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता हैं की अंतिम डिक्री जारी की जाती हैं वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार कर निर्णय दिया जाता है कि मौझा घाटी पटवार मण्डल चिबोडा तह. सलुम्बर की जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 92 के आराजी संख्या 642/0.15, 643/0.01 कुल किता 2 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की वादीगण के कब्जे में दखलनदाजी नही करे ना ही प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में कोई कब्जा करे । इस प्रकार कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाति है। पर्चा डिक्री कायम किया जावे।

खर्चा मुकदमा उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर लगाकर दी गई।

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
सलुम्बर जिला उदयपुर
5.4.2021

मुद्दई	रूपया पैसा	मुदायला	रूपया पैसा
स्टाम्प अरजी दावा	4	स्टाम्प अरजी वकालत नामा	2
स्टाम्प वकालत–नामा	1	स्टाम्प अरजी	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प वजह सबूत	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
खर्चा गवाहन	–	खर्चा गवाहन	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
मुतफरिक	4.	मुतफरिक	–
मीलान –	–	मीलान –	–